न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम, जिला करौली

मु.नं:– 09/2026 तारीख रजू :– 13.03.2026

पीठासीन अधिकारी :– श्री अमन चौधरी आर.ए.एस.

उनवान

रामकेश पुत्र मंगूराम जाति मीना निवासी तलाई का बांस बेरोज तहसील टोडाभीम, जिला गंगापुर सिटी राज0

वादी/प्रार्थीगण

बनाम

1. रत्तीराम पुत्र मंगूराम
2. रामलाल पुत्र श्योनारायण (फौत)
   2/1 श्रीफल पुत्र रामलाल
   2/2 सेटाराम पुत्र रामलाल

   जाति मीना निवासी तलाई का बांस तहसील टोडाभीम, जिला गंगापुर सिटी
3. तहसीलदार (सबरजिस्ट्रार) तहसील टोडाभीम, जिला गंगापुर सिटी
4. शाखा प्रबन्धक बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी राज0

–प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 जाप्ता दीवानी
दावा बावत् तकास्मा आराजी एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितिः– 1. प्रार्थी की ओर सेः– श्री छुट्टन लाल मीना एडवोकेट प्रार्थी

2. अप्रार्थी की ओर सेः– कोई उपस्थित नहीं

निर्णय दिनांकः– 13/04/2026

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि उनवानी प्रकरण में प्रार्थी/वादी के विरूद्ध दिनांक 13.10.2025 को वादी की रिश्तेदारी में रिश्तेदार की मौत होने का प्रार्थी/वादी हाजिर अदालत नहीं आ सका और प्रार्थी वकील किसी दीगर प्रकरण में पैरवी हेतु बाहर गया हुआ था। इस कारण हाजिर अदालत नहीं आ सका और श्रीमानजी के द्वारा दावा अदम हाजरी, अदम पैरवी के आधार पर खारिज फरमा दिया गया था। प्रार्थी ने अपने मुकदमे की जानकारी की तो प्रार्थी को पता लगा कि दावा

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला–करौली

अदम हाजरी, अदम पैरवी पर खारिज हो गया और जैसे ही प्रार्थी को पता लगा प्रार्थी ने उपरोक्त प्रार्थना पत्र ऑर्डर 09 रूल्स 09 जाप्ता दीवानी पेश कर दिया। प्रार्थना पत्र अन्दर म्याद प्रस्तुत है एवं वादपत्र अभी जबाव की स्थिति पर है। प्रार्थना पत्र के मंजूर किये जाने से प्रातिवादीगण को किसी भी प्रकार कोई हानि नहीं है। जबकि प्रार्थना पत्र मंजूर नहीं किये जाने से प्रार्थी/वादी को पूर्तनीय क्षति होगी।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर अर्ज है कि प्रार्थना पत्र मंजूर किया जाकर वादपत्र को पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश प्रदान करे व दिनांक 13.10.2025 के आदेश को निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी नं0 1 ता 4 बावजूद सूचना के न्यायालय में अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। बहस के दौरान प्रार्थी वकील ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का दोहरान करते हुये कहा कि प्रार्थी/वादी के विरूद्ध दिनांक 13.10.2025 को वादी की रिश्तेदारी में रिश्तेदार की मौत होने का प्रार्थी/वादी हाजिर अदालत नहीं आ सका और प्रार्थी वकील किसी दीगर प्रकरण में पैरवी हेतु बाहर गया हुआ था। इस कारण हाजिर अदालत नहीं आ सका और श्रीमानजी के द्वारा दावा अदम हाजरी, अदम पैरवी के आधार पर खारिज फरमा दिया गया था। प्रार्थना पत्र के मंजूर किये जाने से प्रातिवादीगण को किसी भी प्रकार कोई हानि नहीं है। जबकि प्रार्थना पत्र मंजूर नहीं किये जाने से प्रार्थी/वादी को पूर्तनीय क्षति होगी।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर अर्ज है कि प्रार्थना पत्र मंजूर किया जाकर वादपत्र को पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश प्रदान करे व दिनांक 13.10.2025 के आदेश को निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया है।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बाद मनन व अवलोकन प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 जाप्ता दीवानी स्वीकार योग्य होने से न्यायाहित में स्वीकार किया जाता है। मूल वाद को पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश दिये जाते है।

यह निर्णय आज दिनांक 12/04/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अमन चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला करौली